

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: शुद्धि-पत्र :-

राँची, दिनांक- 20/03/2026 ई०।

संख्या- 06/गृ०(का०)आधु०-24/2025 - 1836 / आवंटनादेश संख्या-123, दिनांक- 22.12.2025
की कंडिका-3 में अंकित "आवंटित राशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, झारखण्ड" के स्थान पर "आवंटित राशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से अथवा निकासी कर Bank Draft / Payee ID द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, झारखण्ड/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची" पढ़ा जाय।

2. यह संशोधन मंडल कारा, गुमला के स्वीकृत योजना पर प्रभावी होगा।
3. उक्त आवंटनादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


ह०/-

(वंदना दादेल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 06/गृ०(का०)आधु०-24/2025 - 1836 / राँची, दिनांक- 20/03/2026 ई०।

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/काराधीक्षक, मंडल कारा, गुमला/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.3.26

सरकार के अपर मुख्य सचिव।